न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05 / 2022 **दायर दिनांकः 08 / 08 / 2022**

उनवान

1. लाडबाई उम्र 50 वर्ष पत्नि औकारलाल जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू बारां जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. हरिबल्लभ पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भंवरलाल पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व
धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :—
प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर।
अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनाकः 15 / 12 / 2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया है कि उक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें दिनांक 13.01. 2022 को निर्णय व डिक्री फरमा दिया गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम काचरा तहसील अटरू के खाता संख्या 161 ख0नं0 1043 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 584 / 1118 रकबा 0. 07 है0, ख0नं0 585 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 1.11 है0 भूमि स्थित है। वाद में वर्णित आराजीयात का पारिवारिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य पूर्व में हो चुका था जिसके मुताबिक ख0नं0 584 / 1118 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586र0.17 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल काबिज काश्त चला आ

रहा है तथा ख0नं0 1043 रकबा 0.75 है0 पर वादी व प्रतिवादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल ने उक्त आराजीयात में से अपने कब्जे काश्त का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.02.2021 को प्रतिवादी क्रम 3/ प्रार्थिया लाडबाई को बेचान कर दिया था वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 02.11.2021 को राजीराम पेश किया गया था परन्तु सहवन से लाडबाई के स्थान पर भंवरलाल का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके आधार पर दिनांक 13.01.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर वाद डिक्री कर दिया गया है तथा उक्त डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में लाडबाई के स्थान पर भंवरलाल का नाम अंकित कर दिया गया है जो अवैधानिक एवं गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त उनवान वाद का निर्णय व डिक्री 13.01.2022 निरस्त कर पत्रावली का पुनर्विलोकन कर भंवरलाल के स्थान पर लाडबाई का नाम अंकित करने के आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जावेगा। प्रार्थना प्रार्थिया स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त उनवान का वाद का निर्णय व डिक्री 13.01.2022 निरस्त कर पत्रावली का पुनरावलोकन कर भंवरलाल के स्थान पर लाडबाई का नाम अंकित कर दिया जाने में अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा दिनांक 18.11.2021 के आधार पर जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.01.2022 में लिपीकीय त्रुटिवश प्रार्थीया/प्रतिवादीक्रम 3 के स्थान पर अप्रार्थी क्रम 2/प्रतिवादी क्रम 1 का नाम अंकित कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी क्रम 2/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने हिस्से 1/3 की आराजी का बेचान

पूर्व में ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2021 प्रार्थीया/प्रतिवादी क्रम 3 को कर दिया था। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में पेश मूल वाद संख्या 160/2021 में पेश राजीनामा दिनांक 18.11.2021 को लिखते समय मानवीय एवं लिपीकीय भूलवश प्रार्थीया लाडबाई का नाम काटकर अप्रार्थी क्रम 2 भंवरलाल का नाम अंकित हो गया था। जबकि भंवरलाल ने स्वयं अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2022 में उक्त गलती को स्वीकार कर स्वयं के स्थान पर प्रार्थीया लाडबाई का नाम दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 160/2021 Compromise suit में दिये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2022 में संशोधन कर अप्रार्थी क्रम 2/प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल के स्थान पर क्रेता प्रार्थीया लाडबाई का नाम दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अपने इकबाली जवाब दिनांक 06.10.2022 के कथनों को दौहराते हुऐ अभिभाषक प्रार्थीया की बहस का कोई विरोध नहीं किया गया।

5. अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में पेश राजीनामा दिनांक 18.11.2021 का अवलोकन किया गया। राजीनामा की पांचवी पंक्ति का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है– ''प्रतिवादी क्रम 3 लाडबाई के ख0नं0 584/1118 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586 का रकबा 0.17 है0 ~~लाडबाई~~ /भंवरलाल के दर्ज कर दिया जावे''। समझौते की उक्त पंक्ति में पहले प्रार्थिया लाडबाई का नाम लिखा गया था जिसे काट कर फिर भंवरलाल लिखा गया है। रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम 2 भंवरलाल ने ग्राम काचरा की उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से 1/3 का बेचान प्रार्थिया लाडबाई को कर कब्जा संभला दिया है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी राजीनामा एवं इसके आधार पर मूल वाद संख्या 160/2021 में जारी निर्णय एवं डिक्री में हुई त्रुटि को स्वीकार कर भंवरलाल के स्थान पर प्रार्थिया लाडबाई का नाम दर्ज करने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के मध्य हुऐ राजीनामा दिनांक 18.11.2021 में प्रार्थीया लाडबाई का नाम काट कर भंवरलाल अंकित करना एक लिपीकीय व मानवीय त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय हित में होगा।

6. आदेश 23 नियम 3 एवं 3ए सीपीसी. के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है– **Order 23 Rule 3**- **Compromise of suit** –"Where it is proved to the satisfaction of the Court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties or where the defendant satisfied the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject-matter of the suit, the Court shall order such agreement, compromise satisfaction to be recorded, and shall pass a decree is accordance therewith so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject-matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject-matter of the suit:

Provided that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the Court shall decide the question; but not adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question, unless the Court, for reasons to be recorded, thinks fit to grant such adjournment."

इसी प्रकार आदेश 23 नियम 3 ए के प्रावधानों का अवलोकन निम्नानुसार है– 3A –**Bar to suit**- "No suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful".

उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक सहमति डिक्री न्यायालय की अनुमति से प्रकरण के पक्षकारों के मध्य हुआ एक समझौता है। यह मात्र पक्षकारों के मध्य करार नहीं है। सहमति के आधार पर डिक्री पारित करने में, न्यायालय में सहमति में अपनी आज्ञा को सम्मिलित किया है। सहमति की डिक्री समादेश व संविधा दोनों से मिलकर बनी है अर्थात सहमति की डिक्री न्यायालय के अनुमोदन से बनी संविधा है। यह एक स्थापित प्रावधान है कि सहमति डिक्री के आधार पर जारी आदेश व डिक्री को अपास्त कराने के लिए कोई भी

पक्षकार इस आधार पर नया वाद नहीं ला सकता कि वह डिक्री जिस समझौते पर आधारित है, वह विधिपूर्ण नहीं था। समझौता डिक्री जारी होने के बाद यदि किसी पक्षकार को या सभी पक्षकारों को समझौते पर कोई आपत्ति है या कोई संशोधन चाहते है तो उसे उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना होगा जिस न्यायालय द्वारा वह समझौता डिक्री जारी की गई है। इस प्रकरण में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य हुए समझौते दिनांक 18.11.2021 में हुई लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थिया व अप्रार्थीगण सहमत है। अतः न्यायहित में सहमति डिक्री में विधिवत संशोधन किया जा सकता है। न्याय के उद्धेश्य को सफल बनाने के लिए न्यायालय धारा 151 सीपीसी. के तहत न्यायालय में अन्तर्निहित /इनहेरेन्ट शक्तियों का भी उपयोग कर सकता है। धारा 151 सीपीसी0 में न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियां बहुत व्यापक है और न्यायालय इनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर एक मात्र सीमा यह है कि जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इनका उपयोग विधायका के इरादे के खिलाफ नहीं हो और जहां किसी कोड या कानून में छोडी गई किसी रिक्तता से कोई अस्पष्टता उत्पन्न हुई हो । धारा 151 सीपीसी. वहां लागू नहीं होगी जहां कानून में उस स्थिति विशेष के लिए स्पष्ट प्रावधान मौजूद हो।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी सहमति डिक्री के समझौते में प्रथम दृष्टया एक लिपीकीय त्रुटि हुई है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थिया व अप्रार्थीगण अर्थात वादी व प्रतिवादीगण सहमत है और ऐसा संशोधन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिया लाडबाई को प्राप्त स्वामित्व व कब्जे को प्रदान करने अर्थात न्याय के उद्धेश्यों को सफल बनाने के लिए है। अतः इस न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 160/2021 में जारी सहमति आदेश व डिक्री में संशोधन कर प्रार्थिया लाडबाई का नाम खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 एवं 3ए सहपठित धारा 151 सीपीसी0 न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 एवं 3ए सहपठित धारा 151 सीपीसी0 स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा

मूल वाद संख्या 160/2021 में जारी आदेश व डिक्री दिनांक 13.01.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है– ''**ग्राम काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू के ख0नं0 584/1118 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 रकबा 0.12 है0 एवं ख0नं0 586 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल के स्थान पर प्रार्थिया/प्रतिवादी क्रम 3 लाडबाई पत्नी औंकार लाल धाकड को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है**''। रहन का नोट यदि है तो यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। संशोधित डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

संशोधित डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 05/2022 **दायर दिनांकः 08/08/2022**

उनवान

1. लाडबाई उम्र 50 वर्ष पत्नि औकारलाल जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू बारां जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. हरिबल्लभ पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भंवरलाल पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

प्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर।

अप्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। इस न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 160/2021 में जारी आदेश व डिक्री दिनांक 13.01.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है– ''**ग्राम काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू के ख0नं0 584/1118 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 रकबा 0.12 है0 एवं ख0नं0 586 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल के स्थान पर प्रार्थिया/प्रतिवादी कम 3 लाडबाई पत्नी औंकार लाल धाकड को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है**''। रहन का नोट यदि है तो यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.12.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)